


पत्रांक: /आयुक्त0उत्तरा0/फार्म-अनु0/10-11/केन्द्रीय फार्म-सी/एफ/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून 1136



कार्यालय-आयुक्त कर, उत्तराखण्ड 29.11.10

(फार्म-अनुभाग )

देहरादून:दिनांक::11 नवम्बर, 2010

विज्ञप्ति

केन्द्रीय बिक्रीकर(उत्तराखण्ड)नियमावली-2006 के नियम-8 के उपनियम-13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके मैं आयुक्त कर,उत्तराखण्ड निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म-सी/एफ" जिनके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं,को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इन फार्मस के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ।

क्र० स०	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज/क्रमांक
1.	सर्वश्री राज एजेन्सीज गंज बाजार, काशीपुर ।	(Form-C)-01 (Form-F)-04	U.K VAT-C2007-270821 U.A/F-2001/115574,115575, 115584,115585
2.	सर्वश्री प्रिन्ट एण्ड प्रिन्ट खसरा नं०.986 सलेमपुर राजपुताना,रुड़की ।	(Form-C)-11	U.K VAT-C2007-1100230 to 1100239 , 147480

(राधा रतूड़ी)

आयुक्त कर,उत्तराखण्ड ।

पृ०प०संख्या 3321 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. कमिश्नर कर/वाणिज्य कर, आन्ध्र प्रदेश-हैदराबाद/तमिलनाडु-चेन्नई/केरला-तिरुवनन्तपुरम/कर्नाटका-बैंगलूर/  
महाराष्ट्र-मुम्बई/गुजरात-अहमदाबाद/राजस्थान-जैपुर/झारखण्ड-राँची/छत्तीसगढ़-रायपुर/ पश्चिमीबंगाल-कोलकता/  
बिहार-पटना/उत्तरप्रदेश-लखनऊ/उड़ीसा-कटक/पंजाब-पटियाला/हरियाणा-चंडीगढ़/ हिमान्चलप्रदेश-शिमला/  
आसाम-गोहाटी/सिक्किम-गंगटोक/मणिपुर-इम्फाल/नागालैंड-दीमापुर/ अरुणान्चलप्रदेश-इटानगर/त्रिपुरा-अगरतला/  
मिजोरम-एजवाल/मेघालय-सिलोंग/गोवा-पनजी/न्यूदिल्ली/पाँडिचेरी/मध्य प्रदेश-इन्दौर/बिहार-पटना/जम्बू-कश्मीर
2. उप निदेशक,राजकीय लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार)को इस आशय से प्रेषित कि इसे अगले गजट में प्रकाशित कराते हुए इसकी 50 प्रतियाँ उत्तराखण्ड,405,इन्दिरा नगर,देहरादून को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
3. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूँ जोन रुद्रपुर ।
4. ज्वाइन्ट कमिश्नर(वि.अनु.शा./प्रवर्तन)वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन हरिद्वार/कुमायूँजोन रुद्रपुर
5. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यालय)वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को उक्त के सम्बन्ध में सूचित करें ।

आयुक्त कर

उत्तराखण्ड,देहरादून ।